न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर,
पीठासीन अधिकारी :—सुभाषचन्द्र आर.ए.एस.

सं. 71/2021
सीएमएस : 2021/168

1. विरेन्द्र सिहं पुत्री रघुवीर सिहं जाति जटसिख साकिन 45 एन पी समेजाकोठी हाल वार्ड नं. 1 रायसिंहनगर तहसील रायसिंहनगर जिला श्री गंगानगर राज.।

—:प्रार्थी

बनाम

1. रघुवीर सिंह पुत्र बिशन सिंह जाति जटसिख निवासी 45एन पी तहसील रायसिंहनगर।
2. कुलविन्द्र सिहं पुत्र रघुवीर सिहं जाति जटसिख निवासी जटसिख सा. 45 एन पी तहसील रायसिंहनगर
3. हरजिन्द्रपाल कौर पुत्री रघुवीर सिहं पत्नि गुरविन्द्र सिंह जाति जटसिख सा. 40पीएस तहसील रायसिंहनगर जिला श्री गंगानगर ।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व, रायसिंहनगर ।
5. प्रेमसिहं पुत्र बिशन सिंह जाति जटसिख सा. 45 एन पी तहसील रायसिंहनगर जिला श्री गंगानगर।

—:अप्रार्थीगण

<u>वादपत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम</u>

परस्थित अधिवक्तागण

1. श्री मदन सिहं चारण प्रार्थी अधिवक्ता।
2. श्री महेन्द्र सिहं अप्रार्थीगण अधिवक्ता।
3. श्री रोकश कुमार अप्रार्थी अधिवक्ता

—: <u>निर्णय</u> :— दिनांक :—20.12.2024

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से हैं कि प्रार्थी के दादा बिशन सिहं पुत्र हरना सिहं के नाम से चक 45 एन पी के पं.नं. 215/333, 218/334, 218/335, 217/335, में 60 बीधा नहरी भूमि खातेदारी थी व बिशन सिहं के देहान्त उपरान्त उक्त भूमि में से अप्रार्थी सं. 1 रघुवीर सिहं को करीब 30—00बीधा भूमि प्राप्त हुई थी। जिसमें से कुछ भूमि को अप्रार्थी सं. 1 द्वारा विक्रय कर प्राप्त राशि स्वयं के उपयोग व उपभोग में ले ली वा शेष भूमि इसी चक खाता नं. 65/55 में दर्ज अनुसार मु.न. 32 प.न. 217/335 के 2.987 है. नहरी , खाला व.063है, तथा मु.न. 31 प.न. 28/335 की 2.404 है. नहरी कुल 5.454है. भूमि वर्तमान में अप्रार्थी सं. 1 के पास है। जो वर्तमान में अप्रार्थी सं. 1 नाम से राजस्व अभिलेखों में दर्ज चली आ रही है। प्रार्थी , अप्रार्थी सं'2—3 भी अप्रार्थी सं. 1 की सन्तान है व अप्रार्थी सं. 5 चाचा लगता है। उक्त भूमि में जदी जायदाद की परिभाषा में आती है। जिसमें प्रार्थी का अपने पिता की भूमि में जन्म से हिस्सा बनता है। अप्रार्थी सं. 1 को अपने पिता से प्राप्त भूमि में प्रार्थी मुझ का 1/4 भाग बनने के कारण अप्रार्थी सं. 1 द्वारा मेरे हक व हिस्सा भूमि में घरेलु बंटवारा में वाके चक 45 एन पी के मु.न. 32 के प.न. 217/335 के कि.न. 19—20 प्रत्येक सालम—सालम , 21/0.10, कुल 2—10बीधा बीस्वा नहरी मय खाला व मु.न. 31 प.न. 218/335 के कि.न. 4—5—6—7सालम—सालम , 15/0—15 कुल 4—15 बिस्वा नहरी खातेदारी कुल 7—05बीधा नहरी भूमि दी गई । जिस पर प्रार्थी काबिज होकर लगातार काश्त करता आ रहा है।प्रार्थी को दिये जाने पुष्ठि अप्रार्थी सं. 1 द्वारा दस्तावेज पारिवारिक समझोता दिनांक [illegible] हित किया जाकर भी की गई है। उक्त भूमि घरेलु बंटवारा में मुझे प्रार्थी [illegible] सं. 1 द्वारा मेरे हक एवं हिस्सा की भूमि का राजस्व अभिलेखों [illegible] सं. 1 को कहॉ तो आज कल आज कर समय व्यतीत [illegible] है। प्रार्थी [illegible] अपने जाति बिरादरी के लोगों की पंचायत बमुकाम चक 45 ए[illegible] की जाकर अप्रार्थी सं.1 को मेरे हक व हिस्सा व [illegible] का राजस्व अभिलेख में नाम दर्ज करवाने हेतु ज्यादा जोर डाला तो अप्रार्थी सं. 1 एलानियां कहॉ कि वह शीर्घ ही प्रार्थी के हिस्सा की भूमि किसी अन्य को रहन, बैय एवं हस्तान्तरण कर मुझ

उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2025.02.25 11:08:25 IST
Reason: SelfAttested

SCAN AnyScanner

प्रार्थी को बेदखल वा वंचित करेगा, बस यही तारीख बिनाऐ दावा एवं मुखास्मत दावा है इसलिए मुझ प्रार्थी को अपने हक एवं अधिकारों की संसुरक्षा हेतु यह वाद–पत्र व प्रार्थना–पत्र पेश अदालत करना पड रहा है। अप्रार्थी सं. 1 को अपने पिता से विरासत में मिली भूमि जदी जायदाद होने के कारण प्रार्थी का जन्म से हीह क एवं हिस्सा 1/4 भाग की भूमि प्राप्त करने का विधिक अधिकारी होने की वजह से अप्रार्थी सं. 1 द्वारा उसके हक एवं हिस्सा की भूमि उक्त बंटवारा में दी गई भूमि दोनों मुरब्बो की 7–05 बीस्वा नहरी भूमि खातेदारी प्राप्त हुई है। प्रार्थी अपना हक घोषित करवा पाने का विधिक अधिकारी हूँ।

अगर अप्रार्थी अपने उक्त विधि विरूद्व कृत्य में कामयाब हो जाता है तो मुझ प्रार्थी के विधिक अधिकारो का हनन होगा वा ना पूरा होने वाला नुकसान होगा वा अपूर्णीय क्षति होगी वा मुझ प्रार्थी को हुऐ नुकसान का मुल्यांकन मुद्राओं में आंका जाना सम्भव नहीं हो सकेगा इसलिए अप्रार्थीगण के विरूद्व वाद के लम्बन तक अस्थायी निषेघाज्ञा जारी फरमायी जावे कि अप्रार्थीगण स्वयं या उनका कोई हितबद्व व्यक्ति या पश्चातवर्ती व्यक्ति मुझ प्रार्थी के कब्जा काश्त की भूमि वाके चक 45 एन पी के मु.न. 32 के प.न. 217/335 के कि.न. 19–20 प्रत्येक सालम–सालम , 21/0.10, कुल 2–10 बीधा बीस्वा नहरी मय खाला व मु. न. 31 प.न. 218/335 के कि.न. 4–5–6–7 सालम–सालम , 15/0–15 कुल 4–15 बिस्वा नहरी खातेदारी कुल 7–05 बीधा नहरी खातेदारी भूमि में किसी प्रकार की मदाखलत बेजा करने वा रकबा उक्त किसी प्रकार किसी अन्य को हस्तान्तरण रहन वा बैय आदि करने से बाज व ममनू रहे तथा ऐसा कोई कृत्य नही करे जिससे मुझ प्रार्थी उक्त भूमि से बेदखल या वंचित होता हूँ तथा पानी बारी में किसी प्रकार का व्यवधान पैदा नहीं करें।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अप्रार्थीगण के विरूद्व मूल वाद के निर्णय तक इस आश्य स्थाई निषेघाज्ञा जारी की जावे कि चक 45 एन पी के मु.न. 32 के प.न. 217/335 के कि.न. 19–20 प्रत्येक सालम–सालम , 21/0.10, कुल 2–10 बीधा बीस्वा नहरी मय खाला व मु.न. 31 प.न. 218/335 के कि.न. 4–5–6–7 सालम–सालम , 15/0–15 कुल 4–15 बिस्वा नहरी खातेदारी कुल 7–05 बीधा नहरी खातेदारी भूमि में किसी प्रकार की मदाखलत बेजा करने वा रकबा उक्त किसी प्रकार किसी अन्य को हस्तान्तरण रहन वा बैय आदि करने से बाज व ममनू रहे तथा ऐसा कोई कृत्य नही करे जिससे मुझ प्रार्थी उक्त भूमि से बेदखल या वंचित होता हूँ तथा पानी बारी में किसी प्रकार का व्यवधान पैदा नहीं करें।

प्रार्थी के द्वारा प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत करने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी सं. 1 ता 3 की ओर से श्री महेन्द्र सिहं व अप्रार्थी सं. 5 की ओर से श्री राकेश कुमार अधिवक्ता उपस्थित आये । अप्रार्थी सं. 1ता 3 की ओर से अधिवक्ता ने जबाव प्रार्थना–पत्र मय काउण्टर क्लेम प्रस्तुत किया कि अपने जवाब प्रार्थना–पत्र में प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र में अंकित बिन्दूओ का विरोध प्रकट करते हुये अपने अतिरिक्त मजाद में अंकित किया कि प्रार्थी के दादा व अप्रार्थी सं.1 पिता विशन सिहं के नाम से वाके चक 45 एन पी के मु.न. 215/333, 218/334, 218/335 , व 217/335 में तकरीबन 60–00 बीधानहरी भूमि खातेदारी थी जो उसकी खुद के पैदा करता थी इसलिए उसने अपने जीवनकाल में अपने दोनों पुत्रों अप्रार्थी सं. 1 व 5 के नाम से तस्दीक करवा दी थी जिसके आधार पर राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज हो गया ओर अप्रार्थी सं. 1 के नाम 30–00 बीधा खातेदारी भूमि दर्ज हो गई। इस कारण प्रार्थी उक्त भूमि में कोई हक व हिस्सा नहीं बनता है ओर ना ही अपने अधिकारो की घोषणा करवाने का अधिकारी नहीं है। उक्त भूमि पर अप्रार्थी सं. 1 [illegible] रबी की फसल तैयार करने के लिए रखी है। इसलिए प्रथम दृष्टया मामल[illegible] सन्तुलन मुझे अप्रार्थी सं. 1 के पक्ष में है यदि अप्रार्थी सं. 1[illegible] किया जाता है तो मुझे ना पूरे होने वाला नुकसान हो[illegible] गणना मु[illegible] नहीं की जायेगी । प्रार्थी व उसका चाचा ससुर ठाकर सिहं [illegible] उसने अप्रार्थी सं. 1 व उसकी पत्नि को दिनांक 12[illegible] रायसिंहनगर में बुलाकर डारा धमकाकर पारिवारिक समझोता लिखवा लिया ऐसे द[illegible]वेज की कोई कानुनी अहमियत नहीं है। रधुवीर सिहं द्वारा 6–00बीधा अनकमाण्ड भूमि विक्रय करना भी

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2025.02.25 1[illegible]:08:25 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

AnyScanner

स्वीकार है लेकिन उस 6—00 बीधा भूमि के विक्रय से जो रकम प्राप्त हुई थी वो सारी रकम प्रार्थी की 2011 में दुर्घटना हो गई थ्री जिससे उसके सिर मे चोट लगी थी व विभिन्न अस्पतालों में दो सालो तक इजाल चलता रहा जिस कारण प्रार्थी को उक्त 6—00 बीधा भूमि विक्रय कर प्रार्थी को इलाज में लगानी पड़ी ।उक्त भूमि की विक्रय से 3,00,000/—रूपये जो राशि मिली थी, वो सारी की सारी प्रार्थी के इलाज में लग गई। प्रार्थी का परिवार गत 15 वर्ष से मण्डी रायसिंहनगर में रह रहा है तथा प्रार्थी स्वयं मध्यप्रदेश में प्राईवेट नौकरी करता है जिसने कभी भी माता पिता की सेवा नहीं की है ओर ना ही अपने पुत्रधर्म का पालना किया है इसलिए भूमि जदी जायदाद की परिभाषा मे ना आने के कारण प्रार्थी इस भूमि में कोई हक नहीं है। प्रार्थी झगडालू किस्म का व्यक्ति है ओर अपने माता पिता को तंग पेरशान करता रहता है जिससे तंग आकर अप्रार्थी सं. 1 द्वारा पहले 6—4—2013 को व अब पुनः 3—6—2021 को अपनी समस्त चल व अचल सम्पति से बेदखल किया जा चुका है ,जिसके शपथ—पत्र व अखबार की छाया प्रति पेश किया है। विशन सिहं के दो पुत्र रधुवीर सिहं व प्रेमसिहं के आलावा एक लड़की गुडड़ी भी थी यदि वादग्रस्त भूमि जदी जायदाद होती तो मुझे अप्रार्थी सं.1 को 1/3 हिस्सा मिलता जो विरासतन मिलती। अतः प्रार्थी का प्रार्थना—पत्र खारिज फरमाया जावे। अप्रार्थी सं. 5 ने कोई जबाव प्रार्थना—पत्र प्रस्तुत नहीं किया।

बहस पक्षकारान अधिवक्तागण की सुनी गई। वकील प्रार्थी ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया तथा विवादित भूमि पैतृक सम्पति है। जिसमे अप्रार्थीगण मूल वाद के निर्णय तक बैय करने बाज व ममनु रहें । तब तक रिकॉर्ड की यथारिथति बनाये रखे एवं पानी बारी में किसी प्रकार का प्रावधान पैदा नहीं करे। । वकील अप्रार्थीगण ने अपनी बहस में अपने जबाव प्रार्थना—पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि विवादितं जदी जायदाद की श्रेणी में नहीं आती है। उक्त भूमि अप्रार्थीगण को अपने पिता से प्राप्त हुई" । अतः प्राथी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाने हेतु निवेदन किया है।

बहस पक्षकारान के अधिवक्तगण का ध्यान पूर्वक अध्ययन किया गया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज का अवलोकन किया। विवादित भूमि चक वाके प्रार्थी के दादा व अप्रार्थी सं.1 पिता विशन सिहं के नाम से वाके चक 45 एन पी के मु.न. 215/333, 218/334, 218/335 , व 217/335 में तकरीबन 60—00 बीधा नहरी भूमि खातेदारी थी इसलिए उसने अपने जीवनकाल में अपने दोनों पुत्रों अप्रार्थी सं. 1 व 5 के नाम से वसीयत तस्दीक करवा दी थी जिसके आधार पर राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज हो गया ओर अप्रार्थी सं. 1 के नाम 30—00 बीधा खातेदारी भूमि दर्ज हो गई। जो भूमि जदी जायदाद है या उसकी स्वयं की अर्जित सम्पति है। विवादित भूमि में से कुछ भूमि 6—00बीधा बारानी का विक्रय जाने पर उसके द्वारा प्राप्त राशि का खर्चा भी प्रार्थी का वर्ष 2011 में दुर्घटना होने पर उस पर किया गया है। विवादित भूमि प्रार्थी को घरेलु परिवारिक बंटवारा में वाके चक 45 एन पी के मु.न. 32 के प.न. 217/335 के कि.न. 19—20 प्रत्येक सालम—सालम , 21/0.10, कुल 2—10 बीधा बीस्वा नहरी मय खाला व मु.न. 31 प.न. 218/335 के कि.न. 4—5—6—7 सालम—सालम , 15/0—15 कुल 4—15 बिस्वा नहरी खातेदारी कुल 7—05 बीधा नहरी खातेदारी भूमि दी है। जिसका कब्जा काश्त प्रार्थी के पास में है। इन सब बिन्दूओं को निस्तारण मूल वाद में दोनों पक्षों साक्ष्य लिये जाकर मेरिट के आधार पर तय किया जाना है। फिलहाल स्थगन प्रार्थना—पत्र का निस्तारण किया जाना हैं। विवादित भूमि वर्तमान में राजस्व रिकॉर्ड में अप्रार्थी सं. 1 के नाम होने पर उसका अगर रहन बैय व हस्तान्तरण किसी अन्य को किया जाता है तो इसे अपूर्णीय क्षति अप्रार्थी सं. 1 न होकर प्रार्थी को होगी। जिसका ना पूरा होने वाला नुकसान की पुर्ति नहीं हो पाईगी। ऐसे में प्रथम दृष्टया प्रार्थी के पक्ष में है तथा सुविधा का संतुलन भी प्रार्थी के पक्ष में प्रतीत होता है तथा अनावश्यक मुकदमा बाजी बढ़ेगी। ऐसी स्थिति में [illegible] किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2025.02.25 14:08:25 IST
Reason: SelfAttested

—:आदेशः—

उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण के विरूद्ध मूल वाद के निर्णय तक इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा पारित की जाती है कि चक 45 एन पी के मु.न. 32 के प.न. 217/335 के कि.न. 19—20 प्रत्येक सालम—सालम , 21/0.10, कुल 2—10 बीधा बीस्वा नहरी मय खाला व मु.न. 31 प.न. 218/335 के कि.न. 4—5—6—7 सालम—सालम

उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

SCAN AnyScanner

4–15 कुल 4–15 बिस्वा नहरी खातेदारी कुल 7–05 बीघा नहरी खातेदारी भूमि को प्रकार से रहन बैय हंस्तारित ना करें तथा मौका व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखे व कोई कृत्य ना करें जिससे प्रार्थी को नुकसान होता हो। दिनांक 02.06.2021 को जारी निषेधाज्ञ को मूल वाद के निस्तारण तक स्थाई किया जाता है। पत्रावली निर्णित होकर के साथ संलग्न रहे।

आदेश आज दिनांक 20.12.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया।

(सुभाष चन्द्र)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
[redacted]

Signature Not Verified

Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2025.02.25 11:08:25 IST
Reason: SelfAttested

SCAN AnyScanner